1. मॉड्यूल और इसकी संरचना

मॉड्यूल विस्तार	
विषय का नाम	लेखा शास्त्र
पाठ्यक्रम नाम	अध्याय 2- भागीदारी-मूल अवधारणाओं के लिए लेखांकन (बारहवीं कक्षा)
मॉड्यूल का नाम / शीर्षक	प्रकृति भागीदारी, साझेदारी विलेख और साझेदारी खातों के विशेष पहलू
मॉड्यूल आईडी	Leac_10201_E- सामग्री
पूर्व-अपेक्षित	वस्तुएँ व्यापार संगठन के साझेदारी के रूप के बारे में ज्ञान।
उद्देश्य	इस पाठ के, शिक्षार्थी निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे: 1. साझेदारी अर्थ 2. साझेदारी की विशेषताएं 3. एक साझेदार के अधिकार 4. साझेदारी विलेख- अर्थ और महत्व 5. साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में लेखांकन व्यव्हार को प्रभावित करने वाला प्रावधान 6. साझेदारी खाते के विशेष पहलू
मुख्य शब्द	मुख्य शब्द - भागीदारी, साझेदार, फर्म, फर्म का नाम, साझेदारी विलेख

2. विकास दल

भूमिका	नाम	सम्बद्धता
राष्ट्रीय MOOC समन्वयक (NMC)	प्रो. अमरेंद्र पी बेहरा	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
कार्यक्रम के समन्वयक	डॉ। रेजाउल करीम बारबुइया	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम समन्वयक (सीसी) / पीआई	प्रो. शिप्रा वैद्य	डीईएसएस, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम के सह-समन्वयक/co- PI	डॉ निधि गुसाईं	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
विषय वस्तु विशेषज्ञ	श्रीमती मधु वासवानी	दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली
समीक्षा टीम	डॉ। मुनिप्पा उषा	यूपीजीसी, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
अनुवादक	डॉ. अनिता अरोड़ा	ज्योति बी. एड कॉलेज, रामपुरा, फाजिल्का (पंजाब)
तकनीकी टीम	श्री शोभित सक्सेना सुश्री खुशबू शर्मा	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली

विषय - सूची

1. साझेदारी- अर्थ
2. साझेदारी की विशेषताएं
3. एक साझेदार के अधिकार
4. साझेदारी विलेख -अर्थ और महत्व
5. साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में लेखांकन उपचार
6. साझेदारी खातों के विशेष पहलू

1. भागीदारी-अर्थ:

एक व्यवसाय के कई अलग-अलग प्रारूप होते हैं जिनमें व्यवसाय का सञ्चालन किया जा सकता है, अर्थात, एकमात्र प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, सहकारी संगठन, एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी), प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या संयुक्त स्टॉक कंपनी।

जब व्यवसाय का स्वामित्व और नियंत्रण एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो इसे एकल स्वामित्व कहा जाता है लेकिन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यवसाय का लाभ और हानि साझा करते हैं, तो इसे साझेदारी कहा जाता है।

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 4 के अनुसार, "साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जो सभी के लिए किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं या उनमें से कोई भी सभी के आधार पर कार्य करता है।"

जिन व्यक्तियों ने साझेदारी में प्रवेश किया है उन्हें भागीदार कहा जाता है और सामूहिक रूप से उन्हें फर्म के रूप में जाना जाता है।

2. साझेदारीकीविशेषताएं:

साझेदारी की आवश्यक विशेषताएँ हैं

दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संघ:

o साझेदारी के लिए, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए।

o कंपनी (नियम) के नियम 10 के अनुसार (2014), 2014 में केंद्र सरकार ने अधिकतम 50 भागीदारों की संख्या निर्धारित की है। (कंपनी अधिनियम 2013 में 100 की सीमा रखी गई है) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, निम्न को छोड़कर अनुबंध करने के लिए सक्षम है

अ) एक नाबालिग

ब) मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति और

स) किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति

समझौता:

o एक समझौते से साझेदारी अस्तित्व में आती है।

o समझौता मौखिक या लिखित हो सकता है।

o समझौता उनके रिश्ते का आधार बनता है।

व्यापार:

o साझेदारी केवल वैध व्यापार करने के उद्देश्य से बनाई जा सकती है।

o व्यापार में व्यापार, पेशा और व्यवसाय शामिल हैं।

o दान या समाज सेवा या आराम के लिए गठित किसी भी एसोसिएशन को साझेदारी नहीं कहा जा सकता है।

लाभ साझेदारी:

o लाभ या नुकसान साझा करने के लिए भागीदारों के बीच समझौता होना चाहिए

o सभी भागीदारों के लिए नुकसान साझा करना आवश्यक नहीं है।(पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए)।

पारस्परिक अभिकरण :

o साझेदारी प्रतिष्ठान का व्यवसाय सभी भागीदारों या उनमें से किसी के लिए भी संचालित किया जा सकता है।

o भागीदार एजेंट(अभिकर्ता) के साथ-साथ प्रिंसिपल (मुखिया) भी होते हैं।

o एक मुखिया के रूप में, एक साथी अन्य भागीदारों का प्रतिनिधित्व करता है और इस तरह उन्हें अपने अधिनियम के माध्यम से बांधता है और एक एजेंट के रूप में, वह अन्य भागीदारों के कार्य से बंधा होता है।उदाहरण के लिए मान लीजिए, A और B भागीदार हैं। यदि ‘A’ एक व्यापारिक समझौते में प्रवेश करता है, तो B पार्टनर ‘बी’ (प्रिंसिपल) ’भी इससे बाध्य होगा। यहाँ, 'ए' ने 'बी' के एजेंट के रूप में काम किया है।

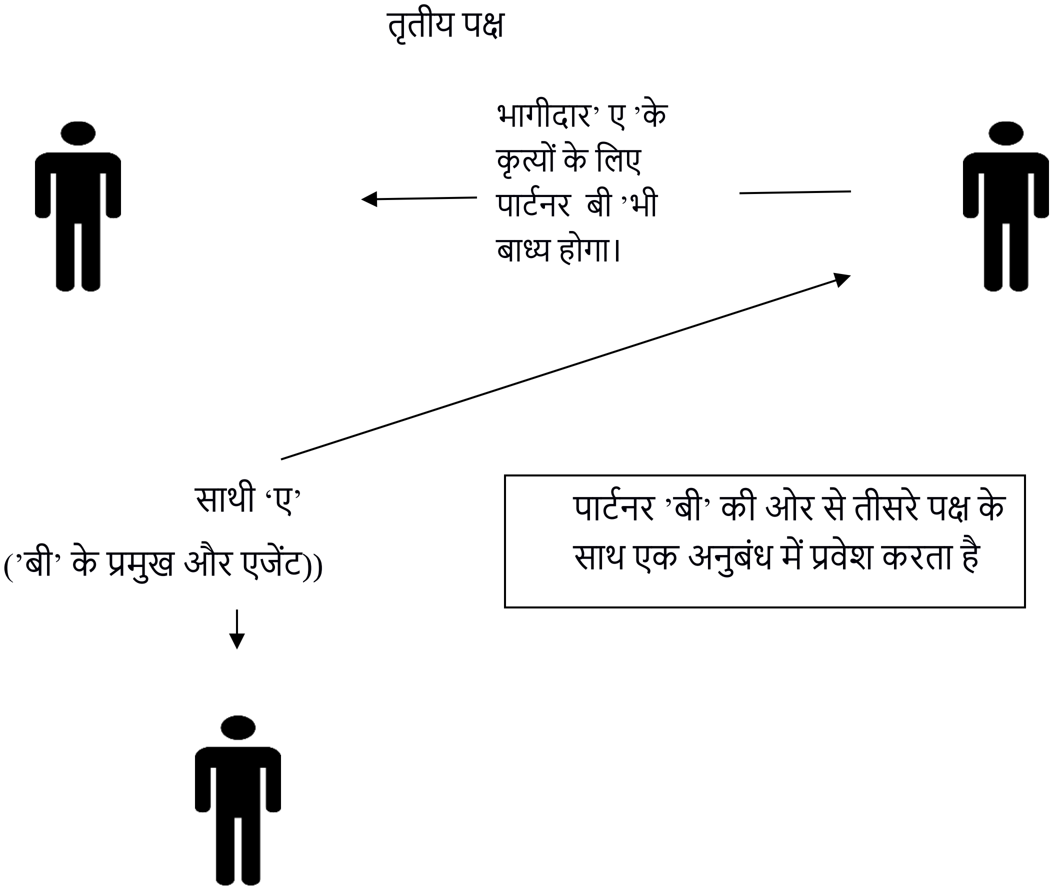

<u>सीमित दायित्व भागीदारी-</u>

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के लागू होने के साथ ही नए प्रकार की साझेदारी अस्तित्व में आती है जिसे **<u>"सीमित देयता साझेदारी"</u>** के रूप में जाना जाता है(LLP)

3. एक भागीदार के अधिकार:

- व्यवसाय में प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार
- व्यापार के मामलों के बारे में परामर्श करने का अधिकार
- खातों का निरीक्षण करने और इसकी एक प्रति रखने का अधिकार
- दूसरों के साथ अनुपातिक लाभ और हानि साझा करने का अधिकार
- एक सहमत अनुपात पर उसके द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार
- नए भागीदार को प्रवेश की अनुमति नहीं देने का अधिकार
- सूचना देने कर फर्म से सेवानिवृत्त होने का अधिकार
- फर्म की ओर से भागीदारों द्वारा किए गए भुगतान के खिलाफ फर्म से क्षतिपूर्ति पाने के लिए

4. साझेदारी विलेख <u>(पार्टनरशिप डीड)-</u>

4.1 अर्थ:

o एक समझौते के परिणामस्वरूप साझेदारी अस्तित्व में आती है, जो मौखिक या लिखित हो सकती है।

लिखित दस्तावेज को साझेदारी विलेख के रूप में जाना जाता है।

o इसमें साझेदारी के नियम और शर्तें शामिल हैं।

o यह सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित होता है।

अनिवार्य नहीं है लेकिन भविष्य के विवादों से बचने के लिए लिखित में समझौता करना बेहतर है। न्यायालय में भी यह एक अच्छा साक्ष्य हो सकता है।

4.2 साझेदारी विलेख की सामग्री:

i. भागीदारों का नाम, विवरण और पता;

ii. साझेदारी फर्म का नाम, प्रकृति और पता (हेड ऑफिस);

iii. साझेदारी की अवधि (यदि कोई हो);

iv. व्यवसाय शुरू करने की तारीख;

v. प्रत्येक भागीदार द्वारा योगदान की गई पूंजी की राशि;

vi. लाभ साझा करने का अनुपात;

vii. आहरण (धन की निकासी पर, साथी के ऋण पर औरपूंजी पर ब्याज की दर);

viii. भागीदारों के बीच विवादों को निपटाने की विधि;

ix. भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य;

x. एक साथी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामले में और फर्म के विघटन के समय खातों का निपटान;

xi. भागीदारों को भुगतान किया जाने वाला वेतन या कमीशन की राशि (यदि सहमति हो);

xii. जिस तरह से फर्म की संपत्ति उसके पुनर्गठन के मामले में मूल्यवान होगी; और व्यापार के संचालन से संबंधित कोई अन्य मुद्दे।

5. साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का लेखांकन उपचार: साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में या यदि साझेदारी विलेख मौन है अर्थात् यह भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान से निम्नलिखित मदों के बारे में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं करता है:

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधान

1-लाभ व हानि विभाजन अनुपात -	यदि समझौता विलेख लाभ विभाजन अनुपात पर अस्पष्ट या मौन है तब फर्म के लाभ व हानि को सभी साझेदारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाता है
2-पूँजी पर ब्याज	फर्म में लगाई गई पूँजी राशि पर कोई भी साझेदार ब्याज पाने के लिए वस्तुतः अधिकृत नहीं है।
3-आहरण पर ब्याज -	यदि विलेख में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है तो साझेदारों द्वारा निकाली गई (आहरित) राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
4-प्रवृद्ध राशि पर ब्याज -	यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के उद्देश्य हेतु प्रवृद्ध राशि लगाता हैतो वह इस राशि पर ब्याज पाने के लिए अधिकृत होगा जो उसे 6ः प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
5-फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक -	कोई भी साझेदार फर्म के व्यवसाय चलाने के लिए किसी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक पाने का तब तक हकदार नहीं है जब तक कि इस बारे में साझेदारी विलेख में कोई प्रावधान न दिया गया हो।

साझेदारी अधिनियम, 1932 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

- एक व्यक्ति को सभी मौजूदा भागीदारों की सहमति के साथ या भागीदारों के बीच समझौते के अनुसार एक भागीदार के रूप में प्रविष्ट कराया जा सकता है।
- एक व्यक्ति फर्म से या तो सभी मौजूदा भागीदारों की सहमति से या भागीदारों के बीच समझौते के अनुसार सेवानिवृत्त हो सकता है।
- एक नाबालिग को भर्ती किया जा सकता है,लेकिन केवल सभी भागीदार की सहमति से ,साझेदारी के लाभ के लिए।
- जब तक कि भागीदारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए साझेदार की मृत्यु पर फर्म को भंग नहीं किया जा सकता है,

6. भागीदारी खातों के विशेष पहलू

साझेदारी फर्म के खातों को उसी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है, जैसा कि एकमात्र प्रोप्राइटरशिप में अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित कुछ अतिरिक्त पहलू हैं:

क) भागीदार के पूंजी खाते;

ख) भागीदारों के बीच लाभ या हानि का वितरण (साझेदार की पूंजी पर ब्याज, भागीदारों के आहरण पर ब्याज, भागीदारों के लिए वेतन या कमीशन);

ग) फर्म को साझेदार के ऋण पर ब्याज;

घ) अतीत में लाभ के गलत विनियोग के लिए समायोजन;

ई) लाभ की गारंटी;

च) एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन;

छ) एक साझेदारी फर्म का विघटन;